छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 4–10/2024/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य दिनांक 14 नवंबर, 2024 से प्रारंभ हो रहा है । खरीफ वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर लगभग 160 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के लिए चावल की वार्षिक आवश्यकता का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा एवं सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना है । अतः उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग उपरांत चावल का अंतरण उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. एवं भारतीय खाद्य निगम को किया जावेगा । खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक No. 3(6)/2024-Py.I दिनांक 12.09.2024 द्वारा केन्द्रीय पूल अंतर्गत 70 लाख टन चावल उपार्जन की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में राज्य पूल अंतर्गत 14.30 लाख टन चावल का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जावेगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. **कस्टम मिलिंग चावल डिलीवरी** –

खरीफ वर्ष 2024–25 में उपार्जित शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल उपार्जन एजेंसी को डिलीवरी की समयावधि दिनांक 14 नवंबर, 2024 से 30 जून, 2025 तक होगी ।

2. **धान उठाव की समयावधि** –

2.1 बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों (कांकेर छोड़कर) एवं कोरबा जिलें में उपार्जित होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 31 मार्च 2025 तक किया जावे ।

2.2 रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के जिलों (कोरबा छोड़कर) तथा कांकेर जिले में उपार्जित तथा उपलब्ध होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक किया जावे ।

2.3 खरीदी केन्द्रो से समस्त धान का उठाव 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जावे ।

3. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन एजेंसी –

3.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जावेगा । जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है । खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान उपार्जन की वास्तविक मात्रा के आधार पर एवं खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में दिये गये चावल उपार्जन लक्ष्य अनुसार उक्त कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।

3.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल के लिए उपार्जित चावल के लिए पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल वितरित किया जावे । यदि जिले में पीडीएस हेतु उसना चावल की मांग आती है तो कलेक्टर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा उसना चावल वितरित करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.4 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

3.5 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3.6 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जन केन्द्र प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

3.7 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन केन्द्र की सूची **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन केन्द्र प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

4. <u>गुणवत्ता</u> –

4.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति <u>परिशिष्ट–4</u> पर संलग्न है।

4.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा समयानुसार निर्धारित गुणवत्ता का चावल उपार्जन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाये ।

4.3 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने हेतु उचित कार्यवाही की जावे ।

4.4 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जावे।

4.5 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड का चावल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.6 खाद्य विभाग भारत सरकार के निर्देश दिनांक 29.09.2021 में mixed indicater method के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार अरवा चावल उपार्जन किये जाने के संबंध में मिलर एवं विपणन संघ के बीच निष्पादित होने वाले अनुबंध में प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जावे <u>(परिशिष्ट–5)</u>।

4.7 <u>फोर्टिफाईड चावल की व्यवस्था</u> –

4.7.1 भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में आवश्यकतानुसार फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने के संबंध में अनुबंध में प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जावे ।

4.7.2 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) की व्यवस्था एवं खरीदी के लिए टेंडर के माध्यम से दर (Rate) निर्धारित किया जावे । यह दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन होनी चाहिए । मिलर द्वारा विपणन संघ द्वारा निर्धारित दर पर फोर्टिफाईड राईस कर्नेल कय कर फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की व्यवस्था मिलिंग हेतु की जा सकती है । भारत सरकार द्वारा जारी S.O.P. दिनांक 26.12.2023 <u>(परिशिष्ट–6)</u> एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का पालन विपणन संघ द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।

5. कस्टम मिलिंग दर –

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित शासकीय धान की अरवा/उसना कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त वर्ष 2024–25 में कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावे :–

5.1 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दर 60/– रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय किया जाए ।

5.2 विगत वर्ष अनुसार प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब व्यवस्था नहीं रहेगी ।

5.3 मिलर द्वारा न्यूनतम 02 माह की क्षमता अथवा जिले में उपलब्ध/अंतर जिला में आबंटित धान की मात्रा के आधार पर कस्टम मिलिंग करने पर उक्त राशि की दर में से 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाए ।

5.4 शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाए ।

6. कस्टम मिलिंग प्रकिया –

खरीफ वर्ष 2024–25 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । कस्टम मिलिंग प्रकिया के कम्प्यूटीकरण का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड की देखरेख में होगा । खरीफ वर्ष 2024–25 में कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार होगी –

6.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । मिल पंजीयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जावेगा । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये।

6.2 खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र कमांक 1(6)/2023-Py.I दिनांक 13.08.2024 (परिशिष्ट – 7) द्वारा केन्द्रीय पूल में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं । उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

6.2.1 राईस मिलों का पंजीयन SFPP पोर्टल (स्टेट फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल) में भौतिक सत्यापन के पश्चात ही किया जावे । मिलर द्वारा बिजली खपत की जानकारी SFPP पोर्टल में दर्ज किया जावे । मिलर द्वारा निजी स्रोत से प्राप्त धान/चावल एवं शासकीय धान के धान/चावल का पृथक–पृथक रिकार्ड रखा जावे । API के माध्यम से SFPP पोर्टल के माध्यम से जानकारी CFPP (सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल) में अंतरण किया जावे ।

6.2.2 कस्टम मिलिरों को उनकी वार्षिक मिलिंग क्षमता का केवल 75 प्रतिशत तक धान कस्टम मिलिंग हेतु आबंटित किया जा सकेगा।

6.2.3 आधुनिक मिलों एवं गैर व्यापारिक मिलों को मिलिंग हेतु धान प्रदाय करने में प्राथमिकता दी जावे।

6.2.4 जिन मिलरों के द्वारा अनियमित तरीके से स्टॉक को परिवर्तित किया गया है अथवा जिनके लॉट कई बार नान/ एफसीआई में रिजेक्ट हुए हैं ऐसे मिलरों को केन्द्रीय पूल हेतु कस्टम मिलिंग से प्रतिबंधित किया जावे ।

6.2.5 खरीदी केन्द्रों से मिलर द्वारा धान उठाव के पश्चात अपने मिल परिसर में एवं परिवहनकर्ता द्वारा धान उठाव के पश्चात विपणन संघ के संबंधित संग्रहण केन्द्र में ही ले जाया जाना चाहिए, अन्य परिस्थितियों में धान पुर्नचक्रण (Recycling) की स्थिति उत्पन्न होती है, इसकी नियमित निगरानी आवश्यक है । उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2024 में मिलर द्वारा धान एवं चावल परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहन को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल से जोड़े जाने के निर्देश हैं । इसी प्रकार सभी परिवहन वाहनों में Location tracking devices लगाये जाने के निर्देश हैं । अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

6.2.6 सभी राईस मिल की मासिक बिजली खपत का डेटा और मिलों द्वारा प्रत्येक माह जमा कुल सीएमआर की एंट्री की जावे एवं यह डाटा API के माध्यम से CFPP (सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल) में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6.2.7 राईस मिल में उपलब्ध धान/चावल के स्टॉक का भौतिक सत्यापन समय–समय पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।

6.2.8 राज्य में खरीदी सीजन की समाप्ति के पश्चात राज्य शासन एवं एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा रैण्डम रूप से संयुक्त भौतिक सत्यापन खरीदी केन्द्रों, संग्रहण केन्द्रों, राईस मिलों का किया जाना चाहिए ।

6.2.9 मिल के भौतिक सत्यापन हेतु SOP (Standard Operating Procedures)तैयार की जावे, जिसमें चेक लिस्ट एवं वीडियोग्राफी आदि शामिल की जावे ।

6.3 खरीफ वर्ष 2024–25 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

6.4 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाये ।

6.5 मिल की पंजीकृत मिलिंग क्षमता के आधार पर पहली अनुमति चार माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 1600 मेट्रिक टन चार माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे । मिल को एकबार में अधिकतम 6 माह तक की मिलिंग क्षमता की अनुमति दी जा सकती है।

6.6 अरवा मिल को मात्र अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलो में पीडीएस में अरवा चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है ।

6.7 कलेक्टर द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी एवं मिलर के द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध एक ही बार में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । अनुबंध होने के पश्चात अरवा अथवा उसना मिलिंग के किस्म मे परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6.8 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 हेतु कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध में मिलिंग की समयावधि मिल की मिलिंग क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जावे ।

6.9 कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति धान की मात्रा का होगा। कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये गये अनुमति के विरूद्ध किये गये अनुबंध में समिति एवं संग्रहण केन्द्र संलग्नीकरण का कार्य जिला विपणन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार किस्मवार अनुपात (मोटा, पतला एवं सरना धान) कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा । कलेक्टर द्वारा किस्मवार अनुपात निर्धारण में विगत वर्ष में जिले में किस्मवार उपार्जित धान की मात्रा एवं जिले में उपलब्ध धान की किस्मवार मात्रा का ध्यान रखा जावे । जिला विपणन अधिकारी अनुबंध के अनुपात के आधार पर धान का डिलिवरी आर्डर जारी करेगा ।

6.10 अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिये डिलीवरी आर्डर जारी कर सकेगा। मूल जिले के धान के उठाव हेतु मूल जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा एवं अन्य जिले के धान के उठाव हेतु अन्य जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा । जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु निकटस्थ उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे ।

6.11 जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलीवरी आर्डर जारी करने के पश्चात मिलर द्वारा 10 दिवस के भीतर डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा अनुसार धान उठाव करेगा । 10 दिवस तक धान उठाव नहीं करने पर धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जाये। विशेष परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण उपरांत मिलर को अर्थदण्ड में छूट प्रदान करने का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा ।

6.12 अंतर जिला परिवहन के संबंध में अन्य जिले के अनुपात के आधार पर धान का उठाव कराया जावे ।

6.13 **खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में राईस मिलर को धान शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध प्रदाय किया जायेगा । राईस मिलर से अग्रिम में चावल जमा नहीं कराया जाएगा । मिलर से प्रतिभूति राशि के रूप में ली जाने वाली राशि में से रू. 1500/– की राशि बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में ली जावे एवं शेष राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में ली जावे, इस संबंध में प्रकिया का निर्धारण विपणन संघ के द्वारा किया जावे। मिलरों द्वारा धान उठाव के विरूद्ध अनुपातिक चावल जमा करने पर जमा**

किये गये चावल के विरूद्ध प्रतिभूति विमुक्त करने के समय 30 अप्रैल, 2025 तक 1500 रू. के मान से बी.जी./एफडीआर एवं 1000 रू. के मान से पीडीसी का अनुपातिक रूप से समायोजन किया जाये। 30 अप्रैल, 2025 के उपरांत मिलरों द्वारा धान उठाव के विरूद्ध अनुपातिक चावल जमा करने पर जमा किये गये चावल के विरूद्ध प्रतिभूति विमुक्त करने के समय पी.डी.सी. को प्राथमिकता के साथ समायोजन किया जाये तथा पी.डी.सी. की संपूर्ण राशि के समायोजन होने के उपरांत अन्य प्रतिभूतियों को समायोजित किया जाये ।

6.14 राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा, उसी किस्म का चावल जमा कराया जावे ।

6.15 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

6.16 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रकिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलीवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं ।

6.17 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलीवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले के गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न **परिशिष्ट–8** अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे। परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगें । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी कर सकेगें एवं सूचना शासन को देंगे ।

6.18 मिलर द्वारा अनुबंधित मात्रा का मिलिंग कार्य समयानुसार करने हेतु समानुपातिक रूप से धान उठाव एवं सी.एम.आर. जमा किया जावे ।

6.19 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । कलेक्टर द्वारा अधिकतम तीन माह की अवधि तक अनुबंध में वृद्धि की जा सकती है। अनुबंध में तीन माह से अधिक अवधि के वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण

उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी।

6.20 मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत चावल की डिलीवरी देनी होगी ।

6.21 पिछला अनुबंध की मिलिंग पूरी करने एवं संपूर्ण चावल जमा करने के पश्चात् ही कलेक्टर द्वारा मिलिंग हेतु नयी अनुमति दी जावे । नयी अनुमति दिये जाने पर मिलर द्वारा नयी अनुमति अनुसार नया अनुबंध जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित करना होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6.22 संग्रहण केन्द्रों से धान "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के आधार पर प्रदान किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में भी धान प्रदाय करते समय यथासंभव "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के सिद्धांत का पालन किया जावे ।

6.23 किसी भी स्थिति में समिति स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

7. <u>बारदानों की राशि की प्राप्ति</u> –

7.1 बारदानों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 की धान खरीदी नीति की कंडिका 9 में उल्लेखित है, तदनुसार बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

7.2 भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार मिलर द्वारा, नये जूट बारदाने में उपार्जित धान की मिलिंग पश्चात बचत नये बारदाने में चावल जमा किया जावेगा ।

7.3 विपणन संघ के पास यदि खरीफ वर्ष 2023–24 के नये जूट बारदाने शेष रहते हैं एवं यदि खाद्य विभाग भारत सरकार से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की अनुमति प्राप्त होती है तो भारतीय खाद्य निगम में खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के नये बारदानों में चावल का उपार्जन किया जावेगा । मार्कफेड द्वारा उपरोक्त बारदानों के सॉफ्टवेयर में एंट्री एवं रिकार्ड संधारण हेतु समुचित व्यवस्था की जावे । खरीफ वर्ष 2023–24 के नये जूट बारदानों का शतप्रतिशत उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में सुनिश्चित किया जावेगा ।

7.4 संग्रहण केन्द्र/समिति में PDS के प्राप्त बोरे को मिलर को मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे, तथा मिलर के उक्त बारदाना खाली होने पर संबंधित समिति को वापस कराया जावे, वापस नहीं होने पर मिलर से पुराने बारदाने हेतु निर्धारित दर पर राशि की कटौती कर संबंधित समिति को भुगतान किया जावे।

8. <u>परिवहन व्यवस्था</u> –

8.1 समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । **खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में गत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार परिवहन शुल्कों का निर्धारण किया जाए।** खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (<u>परिशिष्ट–9</u>) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान/सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

8.2 लोडिंग अनलोडिंग चार्ज के संबंध में खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–23/2020/29–1/पार्ट–1 दिनांक 02.07..2021 में निम्नानुसार परिवर्तन अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए प्रावधान किया जावे :–

1. मंडी लेबर चार्ज में उपार्जन केन्द्रों से धान लोडिंग कर प्रदाय किए जाने का मद शामिल है, अतएव उपार्जनकर्ता समिति द्वारा उपार्जन केन्द्रों से मिलर/परिवहनकर्ता को धान लोडिंग कर प्रदान किया जाए ।
2. उपार्जनकर्ता समिति द्वारा मिलर/परिवहनकर्ता को धान लोडकर प्रदाय नहीं किए जाने की स्थिति में मंडी लेबर चार्ज को अधिसूचित दरों में तय की गई लोडिंग की राशि मिलर/परिवहनकर्ता को भुगतान किया जाए एवं समिति को देय राशि से कटौती (Deduct) किया जावे ।
3. संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे। जिन संग्रहण केन्द्रों में हमाली हेतु विगत वर्ष की निविदा के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त कार्य कराया जा रहा है, वहॉ हमाली ठेकेदार द्वारा लोडिंग का कार्य विगत वर्ष के अनुसार ही न किया जाकर मिलर द्वारा कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोडिंग हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी एवं परिवहन मद की संपूर्ण राशि देय होगी ।"

8.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी इस प्रकार तय करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध

पंजीकृत राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए ।

8.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दिया जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । संग्रहण केन्द्र से मिलों की दूरी का निर्धारण जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जावेगा । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त एक अन्य संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

8.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

9. <u>समितियों से धान का सीधे उठाव</u> –

9.1 **विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके ।** समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

9.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के खरीदी केन्द्र के अतिरिक्त अन्य खरीदी केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड अथवा कलेक्टर के द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

9.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

9.2 अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों से उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलीवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलीवरी आर्डर के और डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा

डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

9.3 जिला विपणन अधिकारी डिलीवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । डिलीवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी ।

9.4 मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलीवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा। मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो, आधार नंबर एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा । मिलर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त कर ही धान समिति/संग्रहण केन्द्र से प्रदाय किया जाये । प्रबंध संचालक मार्कफेड इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

9.5 सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

9.6 धान उपार्जन हेतु गठित संग्रहण केन्द्र स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । **यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।**

9.7 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस

संबंध में जिलो का संलग्नीकरण **परिशिष्ट–10** में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिर्वतन किया जा सकता है। खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–10** में दर्शित है ।

10. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –

10.1 कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

10.2 कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

10.3 मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी ।

10.4 भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र), छत्तीसगढ़ द्वारा गोदामों में उपलब्ध चावल के स्टॉक के शीघ्र रैक मूव्हमेंट कराने की कार्यवाही की जावे। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय नई दिल्ली एवं रेलवे से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जावे ।

10.5 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में कस्टम मिलिंग चावल जमा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

10.5.1 सभी मिलरों को 1 स्टेक के बराबर या इससे अधिक मात्रा का डीओ जारी होने के पश्चात धान उठाव के 15 दिवस के भीतर चावल जमा हेतु स्टेक आबंटन एप्प में आवेदन करना अनिवार्य होगा । उक्तानुसार चावल जमा हेतु पात्र होने के बावजूद मिलर द्वारा स्टेक आबंटन हेतु आवेदन नहीं करने पर मिलरों पर 15 रू. प्रति क्विं. की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी ।

10.5.2 भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम से स्टेक आबंटन होने के 7 दिवस के भीतर मिलरों द्वारा चावल जमा प्रारंभ करना होगा एवं 20 दिवस के भीतर स्टेक पूर्ण करना होगा । स्टेक पूर्ण नहीं करने पर आबंटित स्टेक की संपूर्ण मात्रा में 15 रू. प्रति क्विं. की मान से अधिरोपित पेनाल्टी विपणन संघ को देय होगी एवं भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आबंटित स्टेक को निरस्त किया जा सकेगा ।

11. <u>अन्य आवश्यक कार्यवाही</u> –

11.1 खरीफ वर्ष 2024–25 के लिए धान उपार्जन की प्रक्रिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मार्कफेड द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की जाये ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

11.2 जिले में राईस मिल एसोसिएशन से उपार्जित होने वाले धान की त्वरित कस्टम मिलिंग हेतु बैठक आयोजित कर चर्चा कर ली जावे । मिलिंग हेतु यथाशीघ्र मिलर से आवेदन प्राप्त कर अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे । मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु समितियों से सीधे धान उठाव की जिलेवार कार्ययोजना <u>परिशिष्ट–10</u> पर संलग्न है ।

11.3 जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव एवं चावल जमा की अनुमानित कार्ययोजना तैयार कर ली जावे एवं तदनुसार अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्यवाही की जावे।

11.4 राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा चावल उपार्जन एजेंसीयों नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल जमा करने हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी । राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा जमा चावल के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी ताकि भण्डारण हानि न्यूनतम रहे तथा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक न हो । राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा गोदाम में आवश्यक दस्तावेज संधारित किया जावे ।

11.5 चावल उपार्जन एजेसिंयों द्वारा राज्य में उपलब्ध गोदामों का चावल उपार्जन हेतु उपयोग किया जावे । उक्त गोदाम राज्य भण्डार गृह निगम, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, मंडी बोर्ड आदि के हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में उपलब्ध उपयोगी गोदमों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है । चावल उपार्जन हेतु गोदामों में स्पेस की आवश्यकतानुसार उपलब्धता बनी रहे, इस हेतु उचित प्रयास किया जावे ।

11.6 मार्कफेड द्वारा संग्रहण केन्द्रों से मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु समयानुसार धान प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे । चावल उपार्जन एजेंसी द्वारा मिलर से कस्टम मिलिंग चावल समयानुसार जमा कराने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे ।

11.7 जिले में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलों से अनुबंध अनुसार समयानुसार मिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

11.8 कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार किया जाए ।

11.9 कस्टम मिलिंग सॉफ्टवेयर में अपैक्स बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा समितियों की सुदृढ़ मॉनिटरिंग हेतु मॉड्यूल बनाया जाकर कियान्वित किया जावे । समिति स्तर पर धान उपार्जन संबंधी समस्त गतिविधियों की जावाबदारी संबंधित समिति प्रबंधक तथा उपार्जन प्रभारी की रहेगी । अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा दिनांक 07 नवंबर, 2024 तक समस्त समिति प्रबंधकों एवं उपार्जन प्रभारियों को **Recycling** रोकने के समस्त उपायों एवं सुदृढ़ उपार्जन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण दिया जावे ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(ऋचा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

क्रमांक एफ 4–10/2024/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि –

01. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
02. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
03. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मेंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
04. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
05. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

06. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
08. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, नवा रायपुर अटल नगर ।
12. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर ।
14. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर ।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम, भोपाल मध्यप्रदेश ।
16. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर अटल नगर ।
17. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर की ओर प्रकाशनार्थ ।
18. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
19. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी), बोर्ड, रायपुर ।
20. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
21. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
22. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
23. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, नागपुर, महाराष्ट्र।
24. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., नवा रायपुर अटल नगर ।
25. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर । उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
26. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
27. समस्त जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ ।
28. अघ्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-1

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने की अनुमानित कार्ययोजना

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2024–25 में अनुमानित धान उपार्जन	गत वर्ष 2023–24 में मासिक मिलिंग क्षमता	चावल जमा की अनुमानित मात्रा		
				एफसीआई	नान	योग
1	बस्तर	270742	57672	27289	90507	117796
2	बीजापुर	112096	3200	0	28468	28468
3	दन्तेवाड़ा	30493	4400	0	29523	29523
4	कांकेर	544224	90200	94441	90070	184511
5	कोंडागांव	306790	49600	35224	66148	101372
6	नारायणपुर	32317	4392	0	12854	12854
7	सुकमा	81040	7728	0	28540	28540
8	बिलासपुर	780348	262656	331040	206543	537583
9	गौरेलापेन्ड्रामरवाही	130249	49784	59869	42009	101878
10	जांजगीरचाम्पा	707437	226764	343096	121331	464427
11	कोरबा	316567	134732	141240	134366	275606
12	मुंगेली	616735	82824	79429	89955	169384
13	रायगढ़	595263	188068	261347	123705	385052
14	सक्ती	571318	192800	310581	84386	394967
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	517943	170272	268042	80742	348784
16	बालोद	826617	156928	240937	80480	321417
17	बेमेतरा	1031939	151608	207072	103312	310384
18	दुर्ग	648484	267216	369547	177543	547090
19	कवर्धा	664157	98408	95552	105710	201262
20	राजनांदगांव	773756	158560	230021	94667	324688
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	426350	28992	8015	51171	59186
22	मोहलामानपुरअं.चौकी	239787	15104	0	34594	34594
23	बलौदाबाजार	962910	144192	156489	138497	294986
24	धमतरी	674312	262336	436565	100927	537492
25	गरियाबंद	536768	105464	135514	80355	215869
26	महासमुंद	1245963	272912	439181	119900	559081
27	रायपुर	787671	465152	711833	240871	952704
28	बलरामपुर	285505	68840	48346	92345	140691
29	जशपुर	336458	84404	73607	98969	172576
30	कोरिया	137195	24400	17257	32611	49868
31	सरगुजा	351073	100952	93283	113156	206439
32	सुरजपूर	361945	116032	142792	94674	237466
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	95548	40800	42387	41071	83458
		16000000	**4087392**	**5400000**	**3030000**	**8430000**

उपरोक्त कार्ययोजना खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में अनुमानित धान उपार्जन एवं गत वर्ष स्वयं/अंतर्जिला उठाव/मिलिंग के आधार पर तैयार की गई है। किसी जिले में धान उपार्जन कम /अधिक होने, अंतर्जिला धान उठाव कम/अधिक होने एवं एफ.सी.आई./नान की चावल आवश्यकता में परिवर्तन होने इत्यादि कारणो से परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी। अतः उपरोक्त कार्ययोजना में परिस्थिति अनुसार प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना शासन को दी जायेगी।

परिशिष्ट-(2)

छ. ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड , मुख्यालय नवा रायपुर

बिन्दु कमांक– 05 नागरिक आपूर्ति निगम में चावल उपार्जन केन्द्रों की संख्या– 160 एवं सूचि की जानकारी

क्र.	जिला	क्र.	उपार्जन केन्द्र
1	बस्तर	1	जगदलपुर
		2	करपावंड़
		3	बस्तर(घाट लोहंगा)
		4	केशलुर
		5	गीदम
2	बीजापुर	6	बीजापुर
		7	भैरमगढ़
		8	भोपालपट्टनम
3	दन्तेवाड़ा	9	गीदम
		10	दन्तेवाड़ा
		11	कुआकोण्डा
4	कांकेर	12	कांकेर
		13	चारामा
		14	भानुप्रतापपुर
		15	नरहरपुर
		16	अंतागढ़
		17	पंखाजुर
		18	जुनवानी
		19	माकडी
		20	करप
5	कोंडागांव	21	कोंडागांव
		22	केशकाल
		23	बड़ेडोगर
		24	माकड़ी
6	नारायणपुर	25	नारायणपुर
7	सुकमा	26	दोरनापाल
		27	कोंटा
		28	सुकमा
8	बिलासपुर	29	लिगिंयाडीह
		30	तिफरा
		31	देवरीखुर्द
		32	करगीरोड
		33	बिल्हा
		34	तखतपुर
		35	जयराम नगर
		36	सैदा
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	37	पेन्ड्रारोड
		38	मरवाही
10	~~जांजगीर-~~ चाम्पा	39	अकलतरा
		40	चांपा
		41	नैला

क्र.	जिला	क्र.	उपार्जन केन्द्र
11	कोरबा	42	कोरबा
		43	कटघोरा
		44	पाली
		45	SWC-अकलतरा
12	मुंगेली	46	मुंगेली
		47	लोरमी
		48	सरगांव
		49	बरेला
		50	धपई
		51	गितपुरी
13	रायगढ़	52	SWC धर्मजयगढ़
		53	SWC खरिसया
		54	SWC लोहरसिग
		55	रायगढ़ CWC-1
		56	रायगढ़ CWC-2
		57	SWC लैलूंगा
		58	रायगढ़ किरोडीमल नग
		59	CWC खरिसया
		60	SWC घरघोड़ा
		61	SWC लोहरसिग 2(RG
14	बालोद	62	बालोद
		63	गुण्डरदेही
		64	डौंडीलोहारा
		65	डौण्डी
		66	चिटौद
15	बेमेतरा	67	बेमेतरा
		68	साजा (Durg)
		69	बुईनाभाठा
		70	थानखमरिया
		71	कोड़िया
		72	बेरला-SWC (Rampurt
16	दुर्ग	73	हथखोज
		74	बोरई
		75	SWC-दुर्ग
		76	कोड़िया
		77	SWC- धमधा
		78	करंजा भिलाई
17	~~कवर्धा~~	79	SWC कवर्धा
		80	बोड़ला
		81	पडरिया
		82	हथलेवा (चारभाठा)

	जिला	क्र.	उपार्जन केन्द्र
18	राजनांदगांव	83	बसंतपुर
		84	डोंगरगढ़
		85	छुरिया
		86	तिलई
		87	डोंगरगांव -SWC
19	बलौदा बाजार	88	भाटापारा CWC-1
		89	भाटापारा CWC-2
		90	बलौदाबाजार
		91	कसडोल
		92	अर्जुनी-SWC
		93	हथबंद
20	धमतरी	94	धमतरी
		95	चिटौद
		96	कुरूद
		97	सिहावा
		98	CWC धमतरी (Soram)
21	गरियाबंद	99	गरियाबंन्द
		100	राजिम
		101	देवभोग
		102	मैनपुर
		103	राजिम (Fhingeswar)
22	महासमुंद	104	महासमुंद
		105	पिथौरा
		106	बसना
		107	सरायपाली
		108	बागबाहरा
		109	DB- महासमुंद
23	रायपुर	110	गुढियारी
		111	रायपुर CWC-1
		112	रायपुर CWC-2
		113	रायपुरCWC-3
		114	नेवरा
		115	अभनपुर
		116	खरोरा
		117	मंदिरहसौद
		118	रायपुरCWC-4
		119	आरंग
		120	धरसींवा
		121	नयापारा (Raipur)
		122	हथबंद -Raipur

	जिला	क्र.	उपार्जन केन्द्र
24	बलरामपुर	123	लटोरी
		124	विश्रामपुर -R.B. Godown
		125	सनावल
		126	जवाहर नगर
		127	रामानुजगंज
		128	कुसमी
		129	वाड्रफनगर
		130	राजपुर
25	जशपुर	131	जशपुर
		132	कुनकुरी
		133	पत्थलगांव
		134	बगीचा
		135	फरसाबहार- SWC
26	कोरिया	136	बैकुंठपुर
27	सरगुजा	137	अंबिकापुर
		138	सीतापुर
		139	लखनपुर (Udaypur)
		140	पत्थलगांव (Simhar)
		141	विश्रामपुर (Sarguja)
28	सुरजपूर	142	सूरजपुर
		143	विश्रामपुर (पंडोनगर)
		144	प्रतापपुर
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडंई	145	खैरागढ़
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	146	मानपुर
		147	मोहला
		148	चौकी
31	सक्ती	149	डबरा
		150	बाराद्वार
		151	सक्ती
		152	चन्द्रपुर
		153	बोडासागर
		154	CWC खरसिया (Janjgir)
32	सारंगढ़-बिलाईगढ	155	SWC बरमकेला
		156	SWC सारंगढ़
		157	बिलाईगढ़
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	158	चिरमिरी SWC
		159	जनकपुर
		160	मनेन्द्रगढ़

परिशिष्ट - 3

LIST OF FCI CENTRES FOR DELI VERY OF CMR

#	SNO	Depot Code	Depot Name	Capacity (in MTs)
Rail Head : AKALTARA				
1	1	WF12025	AKALTARA SWC II AUB	40194
2	2	WF12036	SWC I AKALTARA	6873
3	3	WF12041	SWC ARDC AKALTARA	8340
4	4	WF12045	PTC AKALTARA	4176
5	5	WF12054	SWC MARKFED MURLIDIH, AKALTARA	10440
6	6	WF12056	SWC MANDI GODOWN, AKALTARA	3480
7	7	WF12074	SWC MURLIDIH PARISAR-II, AKALTARA	8352
Total				
Rail Head : AMBIKAPUR				
8	1	WF 12067	SWC PANDAVNAGAR	12528
9	2	WF12057	SWC CHATHIRMA,BISHRAMPUR	4176
10	3	WF12058	SWC DIGHMA, BISHRAMPUR	16704
11	4	WF12063	SWC BELKOTA	23490
12	5	WF12076	SWC DAKWA (RAJPUR)	4176
Total				
Rail Head : BALOD				
13	1	WF14002	FSD DHAMTARI	14268
14	2	WF14003	FSD ARJUNI	18792
15	3	WF14037	SWC BHOYNA DHAMTARI PEG	25056
16	4	WF14057	SWC CHITOUD	32538
17	5	WF14060	CWC SORAM DHAMTARI	40716
18	6	WF14062	SWC DHAMTARI MANDI	6264
19	7	WF14067	SWC BHOYNA RES	6264
Total				
Rail Head : BALOD DURG				
20	1	WF13005	CGSWC BALOD	60552
21	2	WF13024	SWC CHITTOD	20880
22	3	WF13025	SWC MARKFED JAGTARA BALOD	10440
Total				
Rail Head : BELHA				
23	1	WF 12075	SWC SARGAON	10440
24	2	WF12002	FSD BELHA	10440
25	3	WF12020	CWC BILASPUR2	27318
26	4	WF12050	SWC BELHA	6264
27	5	WF12075	SWC SARGAON	6264
Total				
Rail Head : BELSONDA				
28	1	WF14005	FSD - MAHASAMUND	16994
29	2	WF14008	FSD RAJIM	19372
30	3	WF14017	MAHASAMUND SWC SHER PEG	18792
31	4	WF14022	SWC RAJIM	12528
32	5	WF14063	SWC MAHASAMUND SHER	16704
33	6	WF14070	PWS RAJIM	23080

34	7	WF14075	NEW SWC AMETI ARANG	6264
35	8	WF14076	SWC BHALESHAR	4176
Total				
Rail Head : BHANUPRATPPUR				
36	1	WF13029	SWC KARAP KANKER	14616
Total				
Rail Head : BHATAPARA				
37	1	WF14050	CWC BHATAPARA II	29696
38	2	WF14053	CWC BHATAPARA I	16530
39	3	WF14072	SWC ARJUNI	20880
Total				
Rail Head : BISHRAMPUR				
40	1	WF 12066	SWC UNCHDIH	8352
41	2	WF12005	FSD BISHRAMPUR	16704
42	3	WF12052	SWC PAHADGAON BISHRAMPUR	6264
43	4	WF12053	SWC PIDHA, SURAJPUR	8352
44	5	WF12062	SWC NAMADGIRI, BISHRAMPUR	16704
45	6	WF12066	SWC UNCHDIH	8352
46	7	WF12067	SWC PANDAVNAGAR	12528
Total				
Rail Head : DONGARGARH GS				
47	1	WF13022	SWC DONGARGARH	10179
Total				
Rail Head : DURG				
48	1	WF13001	FSD DURG	65946
49	2	WF13006	SWC DURG	11152
50	3	WF13016	MARKFED BORAI	52200
51	4	WF13023	SWC KARANJA BHILAI	20880
Total				
Rail Head : FCI SIDING BILASPUR				
52	1	WF12001	FSD BILASPUR	43384
53	2	WF12055	CWC I DEVRIKHURD	26622
54	3	WF12072	SWC LINGYADIH	6264
55	4	WF12073	SWC BIJOR	8352
Total				
Rail Head : FCI SIDING MANDIRHASAUD				
56	1	WF14009	FSD- MANDIRHASAUD	156600
Total				
Rail Head : FCI SIDING RAJNANDGOAN				
57	1	WF13003	FSD RAJNANDGAON	77256
Total				
Rail Head : GEETPURI_BSP				
58	1	WF12070	SWC GEETPURI	20880
Total				
Rail Head : JAGDALPUR				
59	1	WF13002	FSD JAGDALPUR	13224
60	2	WF13028	SWC GHATLONGA JAGDALPUR	4872
Total				
Rail Head : JAIRAMNAGAR				
61	1	WF12071	SWC JAIRAMNAGAR	10440

Total				
Rail Head : KARGIROAD				
62	1	WF12006	FSD KARGI ROAD	18733
63	2	WF12060	SWC MANDI, KARGIROAD	5481
64	3	WF12068	SWC KARGIKALA	2088
65	4	WF12069	SWC LOARMI	6264
Total				
Rail Head : KHARSIA				
66	1	WF 12065	SWC BODASAGAR	25056
67	2	WF12007	FSD KHARSIA	17226
68	3	WF12014	SWC KHARSIA (CHAPLE)	7656
69	4	WF12030	SWC II BHALUCHUHA, KHARSIA	12528
70	5	WF12043	SWC I RANISAGAR KHARSIA	11832
71	6	WF12048	SWC KHARSIA OFFICE GODOWN	0
72	7	WF12049	SWC MDA KHARSIA	0
73	8	WF12065	SWC BODASAGAR	16704
Total				
Rail Head : KOMAKHAN				
74	1	WF - 14066	SWC BASNA GD NO 20	3650
75	2	WF 14066	SWC BASNA GD NO 20	3650
76	3	WF14001	FSD BAGHBAHARA	12673
77	4	WF14016	BASNA	11832
78	5	WF14019	SWC BAGHBAHARA	7569
79	6	WF14039	SWC SARAIPALI PEG	14616
80	7	WF14040	SWC DARGAON BGBR	37280
81	8	WF14049	SWC BASNA KHEMDA AUB	8352
82	9	WF14068	SWC SARAPALI BALODIA	5568
Total				
Rail Head : MANDIRHASAUD				
83	1	WF14021	SWC KURUD PEG AUB	14616
84	2	WF14029	SWC ABHANPUR	10440
85	3	WF14061	SWC KURUD	22968
Total				
Rail Head : NAILA				
86	1	WF12003	FSD NAILA	17864
87	2	WF12034	SWC BANARI NAILA	12528
88	3	WF12039	SWC KHOKRA, NAILA	23490
89	4	WF12046	SWC NAILA KERA ROAD	11513
Total				
Rail Head : RAIGARH				
90	1	WF12008	FSD RAIGARH	12528
91	2	WF12010	CWC RAIGARH PEG	6264
92	3	WF12031	SWC II AWARDHA, RAIGARH	22968
93	4	WF12033	CWC I RAIGARH	4176
94	5	WF12044	SWC LOHARSINGH I RAIGARH	15138
95	6	WF12047	CWC II RAIGARH NON PEG	18792
Total				
Rail Head : RJND PUBLIC SIDING				
96	1	WF13017	FSD A B SHED RAJNANDGAON	12528
97	2	WF13020	SWC BASANTPUR	21750

98	3	WF13021	SWC TILAI	10440
Total				
Rail Head : RSD RAIPUR				
99	1	WF14007	FSD - RAIPUR	27898
100	2	WF14074	CWC RAIPUR - IV	6264
Total				
Rail Head : SAKTI				
101	1	WF12004	FSD SAKTI	15660
102	2	WF12024	SAKTI SWC II AUB	8352
103	3	WF12032	SWC BARADWAR SAKTI	16182
104	4	WF12051	SWC TEMAR, SAKTI	16182
105	5	WF12064	SWC SARAGAON SAKTI	18792
Total				
Rail Head : SARABGUNDIYA				
106	1	WF12059	SWC URGA NAILA	18792
107	2	WF12061	SWC UCHBHITTI	6264
Total				
Rail Head : TILDA				
108	1	WF14004	FSD NEORA NEW	29232
109	2	WF14006	FSD NEORA TILDA OLD	14500
110	3	WF14069	SWC KHAPRI	18792
111	4	WF14073	SWC NEORA TILDA	6264
Total				
Rail Head : TILDA_BEMETRA				
112	1	WF13027	SWC BIJA BHAT BEMETARA	29232
Total				
Rail Head : TILDA_WF13				
113	1	WF13026	SWC KAWARDHA (WF13026)	20880
114	2	WF13030	SWC MAGARDHA (KAWARDHA)	6351
Total				
Grand Total				

परिशिष्ट-(4)

MOST URGENT
BY EMAIL

No.8-1/2022-S&I (E-381310)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
***

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 13.09.2024

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: **Uniform specifications of paddy, rice, coarse grains and 06 minor millets for Kharif Marketing Season (KMS) 2024-25 for central pool procurement-reg.**

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice, coarse grains and 06 minor millets namely *i.e.* Foxtail Millet (Kangani/Kakun), Proso Millet (Cheena), Kodo Millet (Kodo), Little Millet (Kutki) and two Pseudo Millets; Buck-wheat (Kuttu) & Amaranths (Chaulai) for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2024-25.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get the due price for their produce and that rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice, coarse grains & minor millets during KMS 2024-25 may be ensured by all the States/Union Territories (UTs) and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.

3. Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the Uniform Specifications of rice for KMS 2024-25 are also enclosed.

4. Receipt of this communication may please be acknowledged.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

13/9/2024

(Vishwajeet Haldar)
Joint Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Encl: As above.

Copy to:

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.

3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/Sr. Economic Advisor./JS (P&FCI)/JS (Admin. & CVO) / JS (Stg. & PG)/JS (BP, PD and S&R).
8. Director (PD-II)/ Director (Ply-II, III & FC-III) /Director (FCI)/ Director (Fin. & Budget)/ Director (Mov.)/ Director (Impex & HVOC) /Director (NAC, ICT & DGQI)/ Director (S&VO, SP, SDF & SPF)/ Director (NFSA)/ Joint Director (PD- I & III)/ DS (FC, A/cs.)/ DS (Py-I & IV)/ JC (S&R).
9. All QCC/IGMRI Offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (QC)/AD (S&I)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

***

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2024-2025)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, uniform in color and size of grains, and free from molds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances. All Paddy varieties are classified into two Grades i.e. 'A' and 'Common' based on the length and breadth ratio (L:B). If the ratio is greater than & equal to 2.5, then, it is classified as Grade 'A' and if the ratio is less than 2.5, then, it is classified as 'Common'.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S .No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discolored, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS 4333(Part 1):2018 and IS 4333(Part 2): 2017 and 'Terminology for foodgrains' IS 2813:1995 & IS 2813:2019, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

***

13/9/2024

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2024-2025)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, uniform in color and size of grains. Rice shall also be free from molds, weevils, obnoxious smell, an admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or coloring agents & all impurities except to the extent in the schedule below.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S.No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Broken*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged *** / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discolored Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	NA
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)@@	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.2% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

*** Including pinpoint damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture, a value cut will be applicable at the rate of full value.

@@ Blending ratio may vary from a range 0.9 to 1.20% by weight in fortified rice subject to satisfying the prescribed micro-nutrient level as per the CoA of FRK.

NOTE:

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" Nos IS 4333(Part 1):2018 and IS 4333(Part 2): 2017 and "Terminology for foodgrains" IS 2813:1995 & IS 2813:2019 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.20% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on the surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter.

5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

***

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs along with updated illustrations for KMS 2024-25 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.
2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S.No	Refractions		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common *(At the time of procurement)*	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common *(At the time of distribution)*
1.	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2.	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3.	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4.	Chalky Grains	Raw	5	5
5.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7.	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

***

पत्र-5

MOST URGENT

F. No. 8-1/2021-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Storage & Research Division)
*****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 29.09.2021

To,

The Secretary/ Commissioner (Food)

Food & Civil Supplies Department
Government of..................
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Standard Operating Procedure (SOP) of Mixed Indicator Method for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Milled Raw Rice for central pool procurement - reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the Standard Operating Procedure (SOP) of Mixed Indicator Method that should be followed for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Mill Raw Rice for procurement under Central Pool.

2. This method is helpful for the procuring agencies to put a check on possibility of acceptance of old rice in the central pool, hence, along with the various parameters of the Uniform Specifications, SOP of Mixed Indicator Method should also be implemented for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Milled Raw Rice for procurement under Central Pool.

3. In context of the above, it is directed that all the States/Union Territories and Food Corporation of India may ensure the strict compliance of all parameters under Uniform Specifications and SOP of mixed indicator testing method during acceptance of CMR Milled Raw Rice for Central Pool Procurement.

Encl: As above

Yours faithfully,

29/9/2021
(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi - For implementation
2. The Director, IGMRI, Department of Food and Public Distribution, Hapur

Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Storage & Research Division)

*****

SOP of Mixed Indicator Method for age determination of Milled Raw Rice

Background:

As per the policy of Govt. of India for acceptance of CMR in the central pool consignments are accepted from State Govt. Agencies as well as Rice Millers. As per the instructions a uniform size of lot i.e. 29 MT (580 bags) is offered by the millers at depot points. The consignments are accepted after necessary analysis as per procedure stipulated under IS 4333 with up to date amendments. At present the rice consignments are analysed in terms of FAQ specifications stipulated by the GOI and refractions like moisture content, foreign matter, broken grains, damaged grain, discolored grain, admixture, red grain, chalky grain and dehusked are analysed. Now it is proposed to conduct one more test i.e. mixed indicator method for determination of age of milled rice.

Implementation:

Henceforth all the raw rice consignments shall be subjected to another test i.e. mixed indicator method for determination of age of milled raw rice stocks. As per instructions in vogue, a sample shall be drawn from the offered consignment and analysed in terms of FAQ specifications of GOI. If it is found conforming to the prescribed specifications, the samples would be tested through mixed indicator method. In case the color of the reagent comes out to be green/avocado green, the consignment would be accepted and any other color like yellow, yellow orange & orange would be rejected terming the stock as Not freshly Milled.

Method of analysis:

Materials & Equipment-:

(A) Glass ware

1. Volumetric flasks, amber colored 2 no's of 200ml each
2. Graduated measuring Cylinder (100ml.)
3. Beaker
4. Test tube with stopper (5 no. of 25 ml)
5. Glass stirrer
6. Measuring pipette (2ml)

(B) Apparatus

1. Balance with 0.01 gram accuracy.
2. Test tube rack

(C) Chemical Reagents

1. Methyl red, analytic reagent (0.05 gram/depot)
2. Bromothymol blue, analytic reagent (0.15 gram/depot)
3. Ethyl alcohol Absolute Grade (75 ml/ depot)
4. Distilled water (10.00 litres)

Colour Coding for different age groups of rice:

Age of Rice in Months	Resulting color of Solution
0 Month	GREEN
1 Month	AVOCADO GREEN
2 Months	AVOCADO GREEN
3 Months	YELLOW
4 Months	YELLOW ORANGE
5 Months	ORANGE
6 Months	ORANGE

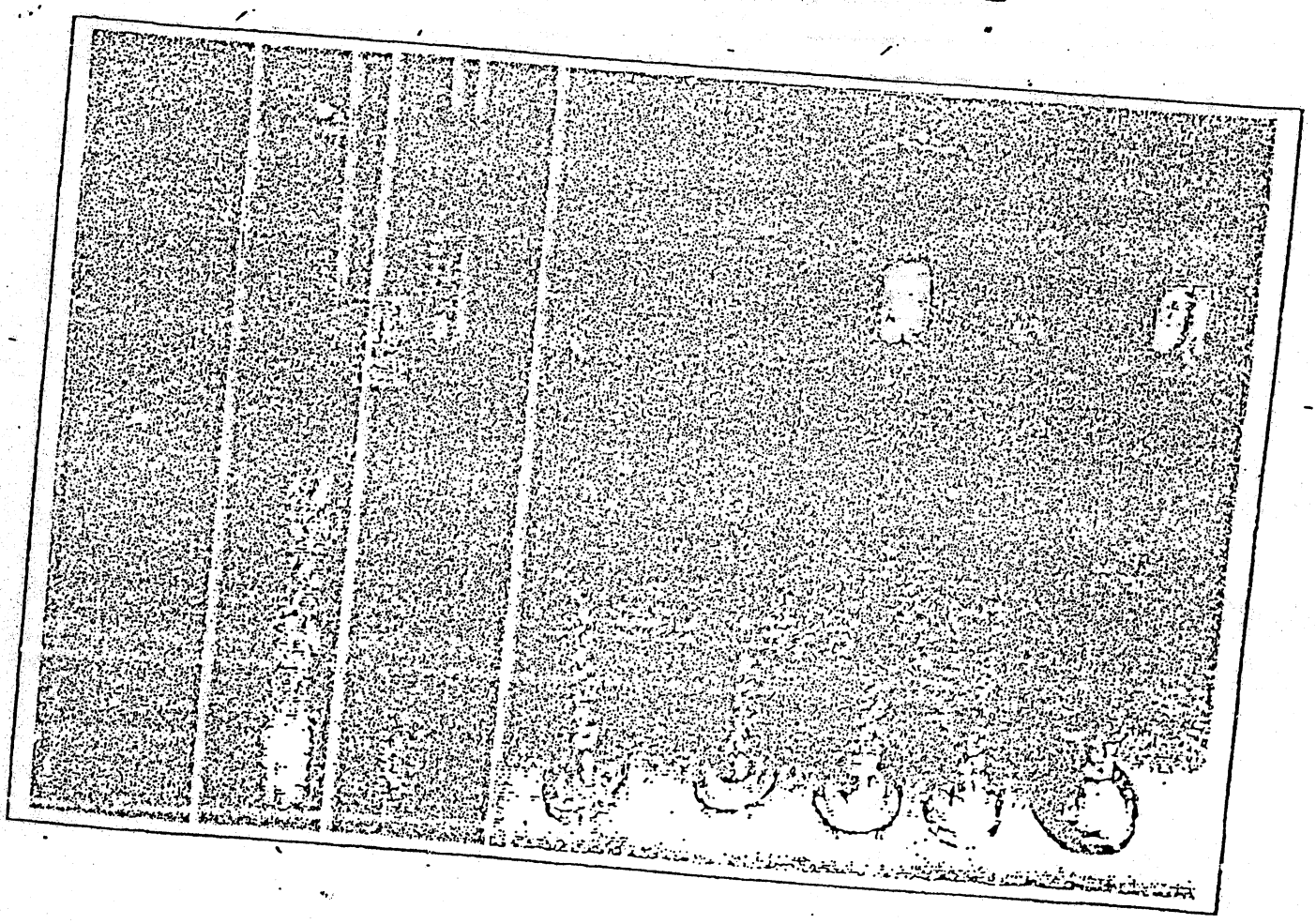

Preparation of stock solution

1. Weigh 0.05 gram of methyl red and 0.15 gram of bromothymol blue.
2. Dissolve the above indicators in 75 ml ethyl alcohol and add distilled water to make 100 ml.
3. Store in a cool and dark place and in an amber colored flask.

Preparation of working solution

Take an aliquot of stock solution and dilute with distilled water in the volume ratio 1:50. The prepared solution preferably be consumed in same or next day. Accordingly, working solution be prepared keeping in view of number of raw rice samples to be tested.

Procedure for staining method using pH indicators (working solution)

1. Weigh 5 grams of the raw rice sample.
2. Place the sample in the test tube.
3. Add 10 ml of pH indicator (working solution) and shake well for one minute.
4. Note the resulting color of solution (whether green/avocado green/yellow/yellow orange/orange).

Interpretation of Test Results:

	Color Change	As per standards	Result
Samples subjected to mixed indicator method	Green	Freshly milled stocks	Accepted
	Avocado Green		
	Yellow		
	Yellow Orange	Old Stock	Not to be accepted
	Orange		

Precaution:

1. Keep away the chemicals from face due to volatile nature of alcohol.
2. Avoid contact of the chemicals from eye, nose and skin.

Appeal Procedure:

Normal appeal procedure would be followed in case of rejection of consignment through this method.

परिशिष्ट-6

No. 36-5/2018-QCC (Part) (E: 377504)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Quality Control Cell)
****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 26th December, 2023

To,

The Secretary,
Food and Civil Supplies Department,
Government of............................
(All States Government/UT administration).

Subject: Standard Operating Procedure (SoP) for Quality Management Protocols for Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR)-reg.

In the suppression of a letter of even number dated 15.03.2022 on the subject cited above, it has been decided to revise the Standard Operating Procedure (SoP) for Quality Management Protocols for Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR).

2. Accordingly, in order to maintain the quality of Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR) and to provide good quality Fortified Rice to the beneficiaries, all stakeholders are advised to ensure strict compliance with the revised Standard Operating Procedure (SoP) enclosed herewith. The said SoP is applicable with immediate effect.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours faithfully
26/12/2023
(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 011-23384784

Copy to:

1. The Senior PPS to the Secretary (F&PD), D/o Food and PD, Krishi Bhawan, New Delhi
2. The Senior PPS to the Secretary, Department of Expenditure, North Block, New Delhi
3. The PPS to the Secretary, Department of School Education, Shastri Bhawan, New Delhi

4. The PPS to the Secretary, Department of Women and Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi
5. The CEO, FSSAI, New Delhi
6. The CMD, FCI, Barakhamba Road, New Delhi
7. The DG, BIS, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
8. The CEO, NITI Aayog, New Delhi
9. The PPS to AS&FA, Department of Food and PD, Krishi Bhawan, New Delhi
10. The PPS to AS (P&FCI), Sr. Economic Advisor, JS (BP&PD), JS (Impex &IC), AS (Storage &PG), Department of Food and PD, Krishi Bhawan, New Delhi
11. The MD, CWC, New Delhi
12. The DS (BP), DS (Policy-1), Director (PD), Director (Finance), DS (FCA.cs)
13. The President FRK, Association
14. The President, Rice Miller Association
15. The Development Partners: WFP/Microsave.NI/Path.
16. The Director (Technical), NIC with a request to post the same on Department's website.

26/12/2023

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 011-23384784

Revised Standard Operating Procedure (SoP) for Quality Management Protocols for Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR).

The level-wise details of the Standard Operating Procedure (SoP) are as under:

Level 1. Vitamin & Mineral Premix (VMP) manufacturer

1.1 The Vitamin & Mineral Premix (VMP) used for manufacturing Fortified Rice Kernel (FRK) should be strictly in accordance with the latest FSSAI guidelines/regulations.

Level 2: FRK Manufacturer

At the level of Fortified Rice Kernel (FRK) Manufacturer/ Supplier:

2.1 FRK manufacturers shall have a FSSAI License/registration.

2.2 FRK manufacturer should procure the Premix from FSSAI Licensed Premix Manufacturer/ Supplier.

2.3 The chemical compound of the vitamin and minerals (VMP), used in FRK production, should be in accordance with the latest FSSAI guidelines/Standard Operating Procedure for FRK Production.

2.4 Certificate of Analysis (CoA) is to be obtained from FSSAI notified laboratories. COAs must have QR code as prescribed by FSSAI containing the information of lab/testing so that the genuineness of the COAs can be checked by scanning.

2.5 FRK manufacturers shall maintain the batch wise records of COAs&of Vitamin-Mineral Premix (VMP) used in FRK production in physical format and s corresponding batch of FRK produced and shall upload test reports on web portal specified by FSSAI for complete audit trail, which can be accessed during the inspections, if required, by FCI, State Government, DFPD and other authorities.

2.6 FRK manufacture shall provide the batch wise COAs of FRK and corresponding batch of Vitamin and Mineral Premix(VMP) to the fortified rice millers while selling FRK.

Level 3: Rice Millers Producing Fortified Rice by Blending FRK with Conventional Rice

3.1 The rice miller should have a valid milling license as well as a valid license for processing of fortified rice under food category 6.0 of the Indian Food Categorization System (Food Safety & Standards Act, 2006).

3.2 The millers should procure FRK from FSSAI licensed/registered FRK manufacturers/Supplier.

26/12/2023

3.3 Millers should have Blending Machine as per the latest standards prescribed by BIS *i.e.* IS 17854: 2022 with integrated packaging/bagging facility to ensure homogeneous blending of FRK at 1% of FR by weight.

3.4 Bags of fortified rice offered for procurement to the procuring agencies must comply with FOOD SAFETY AND STANDARDS (LABELLING AND DISPLAY) REGULATIONS, 2020 AND FOOD SAFETY AND STANDARD (FORTIFICATION OF FOOD) REGULATIONS 2020.

3.5 The rice millers shall keep record of CoAs for each consignment of FRK and VMP. Rice millers shall provide the CoA of the FRK batch used and CoA of corresponding Premix to the procuring agencies at delivery of each consignment/lot of fortified rice.

3.6 During the production of fortified rice, quality checks should be done through the Blending Efficiency Test (BET) conducted on an hourly basis and proper record should be maintained.

Level 4: Procurement of Fortified rice by FCI/ State Agencies:

At the time of Tendering/Empanelment and Formalizing Contract

4.1 FCI/ State Procuring Agencies should specify all pre-requisites including blending efficiency of FRK at 1% of FR by weight, CoA, FSSAI license etc. of rice millers in their Milling Agreement to ensure uniformity and ease the QA/QC protocols.

At the time of Sourcing Fortified Rice from the Millers

4.2 Fortified Rice consignments are to be checked for physical parameters by quality control personnel of procuring agencies/DFPD as per the existing procedure for analysis of food grains (IS:4333-2018 *"Methods of analysis for food grains"* with latest amendments).

4.3 The Tolerance Limit of Blending Ratio shall be as specified by the FSSAI vide communication dated 20.12.2023. For the purpose of uniformity, it is assumed that scenario 2 in Annexure 1 in the said letter shall be followed by the Rice Millers, wherein the mean value (Iron 3525 mg/kg; Folic Acid 10000 µg/kg and Vitamin B12 100 µg/Kg) of the prescribed range of micronutrients in FRK is expected to be ideal. In this scenario the range from **-10% to +20 % i.e., 0.9 to 1.2 shall be permitted blending ratio.**

However, if the sample fails on account of blending, an opportunity would be given to Rice Millers to bring the blending ratio of the rejected stock within any of the green footprints provided in Annexure-I either by adding FRK in FR or by

26/12/2023

adding conventional rice in FR so that the blending ratio in the FR becomes acceptable.

4.4 The procuring agency should verify the CoAs of FRK, premix by scanning the QR code of CoA and check the blending ratio of FRK with conventional rice from the matrix of Blending ratio (placed at Annexure I)

4.5 At the time of acceptance of FR, Blending Ratio would be checked on a sample size of 50 Grams.

4.6 DFPD may conduct surprise checks to ensure the prescribed level of micronutrients in Fortified Rice at any stage mentioned above to address any complaints/grievance/references.

26/12/2022

***

परिशिष्ट-7

No. 1(6)/2023-Py.I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 13-08-2024

To,

1. **The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Food)** (Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Odisha, Punjab, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand and West Bengal).

2. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi.

Subject: Guidelines for Custom Milling of Paddy & delivery of CMR in Central Pool – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to DO letter of even number dated 9th August, 2024 wherein it was conveyed that DFPD will be issuing detailed guidelines to standardize milling operations period, verification of stocks lying with millers and model guidance on registration of millers to be issued before the commencement of the KMS 2024-25 season.

2. Accordingly, the guidelines for custom milling of Paddy for delivery of CMR in Central Pool incorporating modalities for the following activities covering the entire life cycle of paddy conversion to rice are enclosed herewith for compliance:

i. Procurement Plan/ Milling Plan
ii. Physical verification of paddy received
iii. Registration of Millers
iv. Allocation of Paddy to Millers for Custom milling
v. Physical Verification (PV) of Stock
vi. API integration of CMR module of CFPP portal and transferring mill-wise CMR data by States
vii. Implementation of Additional minimum threshold parameters (MTPs)

Yours faithfully,

Encls: As above

Signed by Deependra Singh
Date: 13-08-2024 18:09:06
(Deependra Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
E-mail: uspy1.fpd@nic.in

Copy to:
1. ED (Procurement), FCI HQ, New Delhi.
2. GM (Procurement), FCI HQ, New Delhi.

Guidelines for custom milling of Paddy for delivery of CMR in Central Pool

In addition to the standard provisions in the MoU signed with the custom-milled rice (CMR) millers, the state governments are advised to adhere to the following guidelines.

Procurement Plan/ Milling Plan:

- All Paddy procuring States shall formulate the Procurement plan as well as Milling plan for Paddy, district/region-wise in the State and provide the same online on SFPP in the format as under. This should be integrated through APIs with the CFPP.

Name of the district/ State	Previous season procurement period in the State	Proposed procurement period for ensuing season	Total Milling capacity in the State	Procurement in the previous season (LMT)	Procurement estimated this season (LMT)	Milling period of previous season	Proposed milling period for ensuing season

Registration of Millers:

- All millers engaged for paddy procurement operations should be mandatorily registered on the State Food Procurement Portals (SFPP). This should be integrated through APIs with the CFPP.
- All mills designated for milling within the State shall be registered online only after a physical assessment of their installed capacity.
- The milling capacity should be corroborated with the average electricity consumption for the full year of KMS 2023-24. The monthly electricity consumption data for KMS 2023-24 should be entered in the SFPP for transmission to Central Food Procurement Portal (CFPP).

Allocation of Paddy to Millers for Custom milling:

- The allocation of paddy to mills for custom milling shall be made only upto 75% of their annual milling capacity.
- Modernized mills may be given priority in the allocation of paddy.
- The state government should prioritise non-trading mills for paddy allocation. Trading mills should be given paddy only as a last resort if there are no non-trading mills. In that case, the trading mill should maintain separate registers and accounts, and preferably separate storage for privately purchased paddy/rice, State Pool paddy/CMR and Central pool paddy/CMR.
- **The millers shall declare on the SFPP the month-wise paddy received from private sources and from the State Government or FCI towards the central pool procurement. This information should be captured in SFPP for flow of the information to CFPP through APIs.**
- It shall be mandatory that the millers return CMR within no more than three months of receipt of paddy stock. The state governments shall maintain truck-wise paddy issue entries and monitor them for receipt of proportionate CMR within three months. Appropriate penal provisions may be incorporated by the

States in their Custom Milling Policy / milling agreements to address the default in this regard by the millers.

- The states should devise a mechanism to bar from custom milling of central pool paddy those millers who have been found indulging in irregular practices/in diverting the stock in the past or those whose lots were rejected multiple times by States agencies / FCI or those who have a track record of delaying the milling of paddy.

Physical Verification (PV) of Stock:

- It shall be the responsibility of the State Government and millers to ensure that the stock of paddy/CMR within the mill premises are always available in countable condition for accurate physical verification .
- During each season, the PV of the stock shall be made by officials of the State Government at regular intervals. Senior officers of the State Government shall also make random visits periodically to super check the verification of the stocks at millers' premises.
- State governments, by associating FCI officials, should conduct joint PVs of a sufficiently large random sample of mills immediately after the conclusion of the procurement season in the State to verify whether the procurement figures tally with the physical stock of paddy available in the State. This accounting shall be frozen as soon as the procurement season ends and no change should be made to it.
- A Standard Operating Procedures (SOP), including checklist and inspection undertakings will be formulated which may include videography of the entire verification and to ensure the same is adhered to.
- No extension of the milling period would ordinarily be allowed. In very exceptional cases, extension will be allowed with PV and submission of an undertaking by the Secretary, Civil Supplies Department of the state government attesting to compliance with the requirements laid out vide DFPD Letter No. 1(4)/2019-Py.I dated 03.11.2023. (Annexure A)

API integration of CMR module of CFPP portal and transferring mill-wise CMR data by States:

- All the aforementioned data (viz millers registration with installed capacity, average electricity consumption for full year , mill-wise allocation and storage of paddy and mill-wise quantity of CMR delivered) should be available in SFPP and CFPP. The state shall transfer mill-wise CMR delivery data regularly to the CFPP portal through API integration. Accordingly, necessary action may be taken by the States in consultation with the NIC to capture mill-wise data of CMR delivered in the State and integrate it with the CFPP.
- The FCI shall take immediate action to prepare the formats and reports in CFPP and co-ordinate with the state governments to ensure integration of the data in SFPPs with the CFPP through APIs.

Implementation of Additional minimum threshold parameters (MTPs):

It's reiterated that the State shall ensure the implementation of MTPs as per given details:

a. The details of all transportation vehicles (from the Paddy Procurement Centre

to the Millers, and from Millers to FCI/State Godowns) used should be linked with the Vahan Portal of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) and captured on SFPP for making the same available on the CFPP.

b. All the transportation vehicles should be fitted with location tracking devices, and the data be integrated with the CFPP through APIs.
c. The monthly electricity consumption data of all the rice mills and the total CMR delivered by the mills each month should be made available on CFPP through API integration.
d. All the paddy procurement should be done only after biometric authentication of the farmer/his nominees with his/her Aadhar number, and the data integrated with the CFPP through APIs.

परिशिष्ट-(8)

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय रायपुर

जिलों में गोदाम क्षमता की कमी होने की स्थिति में चावल उपार्जन हेतु जिलों के संलग्नलीकरण की जानकारी

बिन्दु कमांक– 04

S no.	जिले का नाम	गोदाम	जिस जिले के लिए उपार्जन किया जाता है
1	रायगढ	खरसिया	सक्ती
2	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	कोरबा
3	दुर्ग	कोडिया	बेमेतरा
4	दुर्ग	करंजा भिलाई	बेमेतरा
5	सूरजपुर	लटोरी	बलरामपुर
6	सूरजपुर	आर बी गोदाम	बलरामपुर
7	जशपुर	पत्थलगांव	सरगुजा
8	बीजापुर	जगदलपुर	बस्तर
9	सुकमा	जगदलपुर	बस्तर
10	दंतेवाडा	गीदम	जगदलपुर

नोट :– उपरोक्त के अतिरिक्त जिलों के क्षमता एवं लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जन के दौरान आवश्यकता के अनुसार एक जिले का चावल दूसरे जिलों में गोदाम क्षमता के उपलब्धता के आधार पर चावल उपार्जन किया जावेंगा।

परिशिष्ट-(9)

File No.192(14)/2018-FCA/cs

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/08/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
   All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards.

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms.

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

परिशिष्ट-(10)

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान उपार्जन, समितियों से उठाव, अंतर्जिला मिलिंग (संलग्नीकरण) एवं संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण की अनुमानित कार्ययोजना

दिनांक 17.09.2024

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2024–25 में अनुमानित धान उपार्जन	गत वर्ष 2023–24 में मासिक मिलिंग क्षमता	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव				संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण			
				स्वयं के जिले से	अन्य जिले के मिलर		स्वयं एवं अन्य जिले की समितियों से सीधे उठाव की मात्रा	स्वयं के जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संगहण केन्द्र में		संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान की मात्रा
				मात्रा	जिला	मात्रा		मात्रा	जिला	मात्रा	
1	बस्तर	270742	57672	150000	रायपुर/दुर्ग/धमतरी एवं अन्य मैदानी जिले	50000	200000	70742	–	0	70742
2	बीजापुर	112096	3200	9000	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	50000	59000	0	बस्तर	53096	53096
3	दन्तेवाड़ा	30493	4400	11500	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	5000	16500	0	बस्तर	13993	13993
4	कांकेर	544224	90200	277318	धमतरी –75000 रायपुर 65000 एवं दुर्ग 30000	170000	447318	0	धमतरी	96906	96906
5	कोंडागांव	306790	49600	148000	धमतरी	100000	248000	0	धमतरी	58790	58790
6	नारायणपुर	32317	4392	15000	धमतरी / रायपुर	10000	25000	0	धमतरी	7317	7317
7	सुकमा	81040	7728	33000	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	25000	58000	0	बस्तर	23040	23040
8	बिलासपुर	780348	262656	600000		0	600000	180348		0	180348
9	गौरेलापेन्ड्रामरवाही	130249	49784	130249		0	130249	0		0	0
10	जांजगीरचाम्पा	707437	226764	707437		0	707437	0		0	0
11	कोरबा	316567	134732	316567		0	316567	0		0	0
12	मुंगेली	616735	82824	330000	बिलासपुर–120000 कोरबा–30000	150000	480000	0	बिलासपुर	136735	136735
13	रायगढ़	595263	188068	450000		0	450000	145263		0	145263
14	सक्ती	571318	192800	571318		0	571318	0		0	0
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	517943	170272	517943		0	517943	0		0	0
16	बालोद	826617	156928	600000	धमतरी–25000 दुर्ग 25000	50000	650000	176617		0	176617
17	बेमेत्रा	1031939	151608	450000	रायपुर–80000 बिलासपुर–60000, दुर्ग–60000	200000	650000	50000	दुर्ग/रायपुर	331939	381939
18	दुर्ग	648484	267216	648484		0	648484	0		0	0
19	कवर्धा	664157	98408	300000	रायपुर–80000 बिलासपुर–60000, दुर्ग–60000	200000	500000	50000	दुर्ग/रायपुर	114157	164157
20	राजनांदगांव	773756	158560	450000	रायपुर–60000 दुर्ग–60000 धमतरी –30000	150000	600000	173756		0	173756
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	426350	28992	120000	रायपुर–40000 दुर्ग–30000 राजनांदगांव–20000 धमतरी–10000	100000	220000	120000	राजनांदगांव / दुर्ग	86350	206350
22	मोहलामानपुरअं.चौकी	239787	15104	51000	दुर्ग–15000 राजनांदगांव–15000 रायपुर–10000 धमतरी–5000 बालोद–5000	50000	101000	0	राजनांदगांव	138787	138787

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2024–25 में अनुमानित धान उपार्जन	गत वर्ष 2023–24 में मासिक मिलिंग क्षमता	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव				संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण			
				स्वयं के जिले से	अन्य जिले के मिलर		स्वयं एवं अन्य जिले की समितियों से सीधे उठाव की मात्रा	स्वयं के जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संगहण केन्द्र में		संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान की मात्रा
				मात्रा	जिला	मात्रा		मात्रा	जिला	मात्रा	
23	बलौदाबाजार	962910	144192	450000	रायपुर–30000 जांजगीर–30000 सारंगढ–15000 रायगढ–15000 सक्ती–10000	100000	550000	100000	रायपुर	312910	412910
24	धमतरी	674312	262336	674312		0	674312	0		0	0
25	गरियाबंद	536768	105464	350000	रायपुर–25000 धमतरी–25000	50000	400000	50000	रायपुर	86768	136768
26	महासमुंद	1245963	272912	800000	सक्ती–35000 सारंगढ–25000 जांजगीर–25000 रायगढ–25000 रायपुर–15000 धमतरी–15000	150000	950000	295963		0	295963
27	रायपुर	787671	465152	787671		0	787671	0		0	0
28	बलरामपुर	285505	68840	215000		0	215000	70505		0	70505
29	जशपुर	336458	84404	336458		0	336458	0		0	0
30	कोरिया	137195	24400	75000	कोरबा/गौ.पे.सरवाही	62195	137195	0		0	0
31	सरगुजा	351073	100952	302000	कोरबा	15000	317000	34073		0	34073
32	सुरजपुर	361945	116032	300000	कोरबा	40000	340000	21945		0	21945
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	95548	40800	85000	कोरबा	10548	95548	0		0	0
		16000000	4087392	11262258		1737743	13000000	1539213		1460787	3000000

उपरोक्त कार्ययोजना खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में अनुमानित धान उपार्जन एवं गत वर्ष स्वयं/अंतर्जिला उठाव के आधार पर तैयार की गई है। किसी जिले में धान उपार्जन कम /अधिक होने, अंतर्जिला धान उठाव कम/अधिक होने एवं एफ.सी.आई./नान की चावल आवश्यकता में परिवर्तन होने इत्यादि कारणो से परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी। अतः उपरोक्त कार्ययोजना में परिस्थिति अनुसार प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना शासन को दी जायेगी।